

**कृषि विज्ञान केन्द्र, हनुमानगढ़-II (नोहर)**  
**प्रसार शिक्षा निदेशालय**  
**(राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर)**

कर्मोक्त:- KVK/NHR/2025-26/33

दिनांक: 20/05/2025

**खुली निविदा सूचना संख्या 33/2025-26**

**विषय: निविदा सूचना संख्या - 33/2025-26 के अन्तर्गत खरीफ, रबी व जायद की हिस्सा आधारित खेती करने हेतु।**

कृषि विज्ञान केन्द्र नोहर फार्म पर वर्ष 2025-26 के लिए हिस्सा आधारित खरीफ, रबी व जायद फसल खेती करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है।

|    |                                                           |                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | निविदा फार्म की दर व प्रकृति                              | रु 200.00 डी.डी., बैंकर्स चेक अथवा नगद                                                                                                                   |
| 2  | निविदा संदर्भ                                             | खरीफ (ग्वार, मूंग, तिल, मोठ बाजरा इत्यादि), रबी (चना, सरसो, गेहूँ, जौ, जई इत्यादि) व जायद (काचरी, काकड़िया) फसलों की हिस्सा आधारित खेती करने हेतु निविदा |
| 3  | निविदा प्रपत्र संलग्न                                     | निविदा प्रपत्र-क और ख                                                                                                                                    |
| 4  | अनुमानित लागत                                             | 4.00 लाख फसल उत्पादन                                                                                                                                     |
| 5  | निविदा प्राप्त करने की दिनांक व समय                       | 20.05.2025 से 26.05.2025 सुबह 11.00 बजे तक                                                                                                               |
| 6  | निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि व समय | 26.05.2025 दोपहर 12.00 बजे तक                                                                                                                            |
| 7  | निविदा खोलने की तिथि व समय                                | 26.05.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे                                                                                                                           |
| 8  | निविदा खोलने का स्थान                                     | कृषि विज्ञान केंद्र, नोहर                                                                                                                                |
| 9  | कार्य की अनुमानित अवधि                                    | खरीफ, रबी व जायद 2025-26                                                                                                                                 |
| 10 | कुल खेती योग्य भूमि क्षेत्रफल                             | 17.0 हेक्टेयर                                                                                                                                            |

निविदा फार्म शुल्क रु 200/- डी.डी., बैंकर्स चेक अथवा नगद PROG CO-OR REVOLVING FUND KVK NOHAR के नाम पर देय होंगे। सफल निविदादाता को निविदा छुटने के तुरन्त बाद रु 8000/- अमानत राशि कार्यालय में बैंकर चेक/डी.डी. के द्वारा जमा करवानी होगी। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट <http://rajuvasbikaner.org> एवं [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) देखा जा सकता है।

  
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

**कृषि विज्ञान केन्द्र, हनुमानगढ़- II (नोहर)**  
प्रसार शिक्षा निदेशालय  
(राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर )

निविदा सूचना क्रमांक:केवीके/नोहर/2025-26/33

दिनांक: 20/05/2025

**निविदा फार्म (क)**

योजना का नाम : खरीफ, रबी व जायद फसल 2025-26 हिस्सा आधारित खेती

बजट हेड: रिवोल्विंग फंड

| निविदादाता का नाम एवं पूरा पता                                                 |              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| निविदादाता का आधार न. एवं प्रति संलग्न करें।                                   |              |                                                      |
| धरोहर राशि का विवरण                                                            |              |                                                      |
| निविदादाता/ कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले फसल उत्पादन के हिस्से का विवरण: |              |                                                      |
| क्र.सं.                                                                        | विवरण        | हिस्सेदारी (प्रतिशत में)                             |
| 1.                                                                             | चारा उपज     | कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा             |
|                                                                                |              | कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा |
| 2.                                                                             | दाना/बीज उपज | कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा             |
|                                                                                |              | कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा |

**निविदा की शर्तें (ख):-**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क 200/-रु अग्रिम निविदा प्रपत्र के साथ जमा करानी होगी जो डी.डी., बैंकर्स चैक अथवा नगद के माध्यम से ही जमा होगी तथा जिस व्यक्ति/फर्म की दरें अनुमोदित होगी उसकी धरोहर राशि (वर्ष भर की अनुमानित फसल उत्पादन खर्च राशि रुपये 4 लाख का 2 प्रतिशत) रुपये 8000/- कार्यालय में बैंकर चैक/डी.डी. के द्वारा जमा करवानी होगी।                                  |
| 2  | निविदादाता को रुपये 50/- के एफिडेबिट पर यह लिखकर देना होगा कि निविदादाता/फर्म/एजेन्सी किसी भी रूप में ब्लैक लिस्टेड नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | किसी प्रकार की काउण्टर कण्डीशन मान्य नहीं होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | निविदा में दी गई दरों में काट छाट नहीं होनी चाहिए। काट छाट होने पर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | हिस्सा आधारित खेती का क्षेत्रफल एवं बोई जाने वाली फसलों का निर्धारण फार्म इंचार्ज/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा जो निविदादाता को मान्य होगा।                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | ट्रेक्टर को छोड़कर बाकि सभी कृषि यंत्रों जैसे डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाजर ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था एवं इस प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।                                                                                                                                                                           |
| 7  | बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वक, फफूंदनाशक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9  | विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियायें फार्म इंचार्ज व वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाली उपज का निर्धारित हिस्सा कोन्ट्रेक्टर को दिया जायेगा अथवा केन्द्र उत्पादन को रखता है तो राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फसल निकालने के समय जो भी समर्थन मूल्य रहेगा उसके हिसाब से एवं जिन फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं हुआ हो उन फसलों का फसल थ्रेसिंग के समय कृषि उपज मंडी के 7 दिनों के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा। |
| 11 | फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहा इक्कठा करना है व कितने ढेर बनाने हैं इसके लिए फार्म इंचार्ज से सम्पर्क कर बताये अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                   |

*(Handwritten signatures and dates)*  
6/11/25  
Vikram



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म इंचार्ज अथवा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा।                                                                                                                    |
| 13 | निराई गुड़ाई सभी फसलों में अनिवार्य रूप से समय पर करवानी होगी व खरपतवार अधिक होने पर निराई गुड़ाई का कार्य दुबारा भी करवाया जा सकता है।                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | बीज उत्पादित फसलों में आवारा पशुओं द्वारा नुकसान न हो इस हेतु निगरानी दिन व रात में करनी होगी। अनुमानित हिस्सेदारी से कम हिस्सेदारी पाये जाने पर ठेकेदार की निविदा निरस्त की जा सकती है।                                                                                                                                                      |
| 15 | सम्पूर्ण कार्य समाप्ति पर फार्म से लिये गये पाईप, नॉजल व अन्य कृषि उपकरण फार्म इंचार्ज को सम्मलवाकर कोई बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र फार्म इंचार्ज से लेना होगा इसके बाद ही हिस्सा राशि का भुगतान होगा।                                                                                                                                     |
| 16 | फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म इंचार्ज/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष द्वारा बताये अनुसार केन्द्र कमेटी के समक्ष तोलकर गोदाम में बोरियों की ढांग निविदादाता को लगानी होगी व कमेटी द्वारा उत्पादन में नमी प्रतिशत एवं अन्य खरपतवार बीज प्रतिशत निकालकर उत्पादन जमा किया जायेगा।                        |
| 17 | थ्रेसिंग में लगे मशीनरी का खर्चा स्वयं निविदादाता द्वारा वहन करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म ट्रैक्टर ट्रौली उपलब्ध करवादी जावेगी।                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 | फसल में रोगिंग/अपवाछन कार्य फार्म इंचार्ज की देखरेख में निविदादाता को ही करना होगा व नहीं करवाने की स्थिति में केन्द्र कमेटी की देखरेख अन्य मजदूरों से कार्य करवाने पर इस कार्य में लगी खर्च राशि निविदादाता के भुगतान से कटौती कर कार्य में लगे मजदूरों को भुगतान कर दिया जायेगा।                                                            |
| 20 | केन्द्र के तकनीकी पार्क व क्रॉप कैफेटेरिया की देखरेख (बुवाई, निराई - गुड़ाई आदि) निविदादाता को करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21 | पम्प व ट्यूब वेल मोटर ओपरेशन निविदादाता को ही करना होगा व इनकी देखरेख व रखरखाव का कार्य भी निविदादाता को ही करना होगा व पाईप लाईन में कहीं भी पानी का रिसाव होने पर रिसाव रोकने का कार्य निविदादाता को करना होगा व फसल कटाई उपरान्त सभी पाईप लाईन ठीक कर सम्मलवानी होंगी।                                                                     |
| 22 | ट्यूबवेल के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्र फार्म द्वारा वहन किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23 | खेत की तैयारी करते समय निविदादाता को ही केन्द्र पर रखी FYM को ही खेत में डालना होगा उसमें होने वाला श्रमिक व्यय स्वयं वहन करेगा।                                                                                                                                                                                                              |
| 24 | थ्रेसिंग कार्य में बताये अनुसार थ्रेसर लगाकर कार्य करवाना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25 | निविदादाता को निविदा मंजूर होने के बाद 100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मेरा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा फार्म से सम्बन्धित फार्म इंचार्ज/अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बताया गया कार्य समय पर संतुष्टि पूर्ण पूरा न करने पर केन्द्र कमेटी के निर्णय के आधार पर मेरी निविदा निरस्त की जा सकती है। |
| 26 | कार्य करते समय किसी प्रकार के नुकसान एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27 | बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार फार्म इंचार्ज/वरिष्ठ वैज्ञानिक का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर को मान्य होगा।                                                                                                                                                                                                     |
| 28 | अनुबंध के अनुसार निविदादाता द्वारा लगाए जाने वाले श्रमिकों को राजस्थान सरकार द्वारा पारिश्रमिक व अन्य श्रमिक नियमों की अनुपालना संबंधित निविदादाता को स्वयं के स्तर पर करनी होगी। केंद्र की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।                                                                                                                       |
| 29 | किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र नोहर होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने पूर्ण सावधानी पूर्वक उपरोक्त सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली है तथा स्वीकार्य है।

  
 24/11/2024  
 Vikram

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर